न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 108/2017 **दायरा दिनांक : 12.07.2017**

उनवान

चन्द्रकलां पुत्री नन्दलाल पत्नी श्री देवकरण, आयु 48 वर्ष, जाति गालव, निवासी ग्राम पाडलिया हाल मुकाम बेडक्या, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

मदनलाल पुत्र श्री रामकरण आयु 52 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम हिंगोनिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 143/2017 **दायरा दिनांक : 04.09.2017**

उनवान

चन्द्रकलां पुत्री नन्दलाल पत्नी श्री देवकरण, आयु 48 वर्ष, जाति गालव, निवासी ग्राम पाडलिया हाल मुकाम बेडक्या, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

मदनलाल पुत्र श्री रामकरण आयु 52 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम हिंगोनिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री अरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.07.2019

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 55/2014, 95/2014 निर्णय दिनांक 01.06.02017 व 21.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेंट के खिलाफ एक वाद पेश किया कि ग्राम पाडलिया में आराजी खाता संख्या 59 का खसरा नम्बर 37 रकबा 1.89 हेक्टर, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.87 हेक्टर, खसरा नम्बर 92 रकबा 1.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 658/1249 रकबा 1.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 1097 रकबा 0.26 हेक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 5.33 हेक्टर स्थित है । वादिया के पिता नन्दलाल की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण आराजियात वादिया के नाम खाते दर्ज हुई क्योंकि वादिया के पिता के केवल वादिया ही वारिस थी परन्तु प्रतिवादी ने दिनांक 02.04त्र2014 को वादिया से कहा की एक खेत तो मैने खरीद रखा है परन्तु उक्त खसरा नम्बर में से वादिया व उसके पिता जी ने कोई खेत नहीं बेचा । दिनांक 03.06. 2014 को स्वयं वादिया खसरा नम्बर 46 रकबा 0.87 हेक्टर पर खरार करने पहुंची तो प्रतिवादी ने वादिया को खसरार नहीं करने दिया । अतः एक डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की पारित की जावे कि वर्णित आराजी खाता संख्या 59 खसरा नम्बर 46 रकबा 0.87 हेक्टर वाके ग्राम पाडलिया से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादिया को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादिया के खसरा नम्बर 46 रकबा

0.87 हेक्टर पर शांतिपूर्ण काश्त करने देवे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वादी खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई ।

अपील संख्या 108/2017 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात एवं तथ्यों के विपरीत, काश्तकारी विधि एवं प्रक्रिया के सर्वमान्य सिद्धांतों से असंगत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वास्ते नियुक्त किये जाने रिसीवर को रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत सिविल वाद विशिष्ट अनुपालना बाबत प्रस्तुत वाद के अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 75/2017 में रहन, बय न करने बाबत आपसी सहमति से पारित अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 26.09.2014 व प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर अपीलांट का रिसीवर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधि एवं तथ्य की भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद एवं वाद अनुतोष की सुनवायी के क्षेत्राधिकार के प्रावधानों को अनदेखा कर एक वाद सिविल न्यायालय में लम्बित होने को आधार मानकर राजस्व न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित न होना मानकर धारा 212 आर टी ए का प्रार्थना पत्र खारिजी का आदेश पारित किया है वह मनमाना, अवैधानिक होने से निरस्तनीय है । अपीलांट राजस्व रेकार्ड की नामजद खातेदार है । कृषि भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिसीवर नियुक्त करने का एक मात्र श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 आर टी ए के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में विधि की भारी भूल की है । अपीलांट महिला खातेदार है । अपीलांट की आराजी की काश्त व्यवस्था में रेस्पोडेंट द्वारा किया जा रहा व्यवधान एवं बाधाओं से अपीलांट को होने वाली आर्थिक क्षति की रक्षार्थ अधीनस्थ न्यायालय को विधि अनुरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिसीवर नियुक्ति का आदेश गुणावगुण पर पारित करना था, ऐसा न

कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिसीवर प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निर्णय पारित करने में विधि की भारी भूल की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे ।

अपील संख्या 147/2017 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात एवं तथ्यों के विपरीत, काश्तकारी विधि एवं प्रक्रिया के सर्वमान्य सिद्धांतों से असंगत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पूर्ण विचारण किये बिना उक्त वाद को इस आधार पर खारिज किया कि रेस्पोडेंट द्वारा सिविल वाद विशिष्ट अनुपालना बाबत प्रस्तुत वाद के अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हुई है । अपीलांट के वाद में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 26.09.2014 व प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर अपीलांट का वाद संख्या 95/2014 निर्णित कर निरस्त करने में विधि एवं तथ्य की भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद एवं वाद अनुतोष की सुनवायी के क्षेत्राधिकार के प्रावधानों को अनदेखा कर एक वाद सिविल न्यायालय में लम्बित होने को आधार मानकर राजस्व न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित न होना मानकर वाद पत्र खारिजी का आदेश पारित किया है वह मनमाना, अवैधानिक होने से निरस्तनीय है । अपीलांट राजस्व रेकार्ड की नामजद खातेदार है । कृषि भूमि पर बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सुनवायी का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 256 व तृतीय अनुसूची की क्रम संख्या 23 व 24 (ग) में वर्णित धाराओं में विचारण करने का अनन्य क्षेत्राधिकार एक मात्र राजस्व न्यायालय को है । उक्त तथ्य एवं विधि के प्रावधानों को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अपीलांट महिला खातेदार

है । अपीलांट की आराजी की काश्त व्यवस्था में रेस्पोडेंट द्वारा किया जा रहा व्यवधान एवं बाधाओं से अपीलांट को होने वाली आर्थिक क्षति की रक्षार्थ अधीनस्थ न्यायालय को विधि अनुरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिसीवर नियुक्ति का आदेश गुणावगुण पर पारित करना था, ऐसा न कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिसीवर प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निर्णय पारित करने में विधि की भारी भूल की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट के द्वारा सिविल कोर्ट का दस्तावेज पेश किया है और अपील को रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 107/2017 एवं 143/2017 स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 एवं 21.06.2017 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का का अवसर प्रदान करे एवं राजस्व नियमों के अन्तर्गत सिविल कोर्ट में वाद में पारित आदेश के परिपेक्ष में प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। यह आवश्यक रूप से निश्चत किया जावे कि सिविल कोर्ट के आदेश के विपरीत नहीं है। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.12.2019 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा